**संख्या-56/2026/1202/77-6-2026/ 2059320**

प्रेषक,

प्रेरणा शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6** **लखनऊ : दिनांक 29-07-2026**

विषय:- देश के औद्योगिक महानगरों में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-इन्वेस्ट यूपी/126/बजट/ 2026-27(लेखा) दिनांक 12.06.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 2852- उद्योग, 80- सामान्य,104- औद्योगिक प्रोत्साहन 06- **'देश के औद्योगिक महानगरों में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालयों की स्थापना'** मानक मद 42 - अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू. 12.00 करोड़ के सापेक्ष कुल धनराशि रू.12.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 2852- उद्योग, 80- सामान्य,104- औद्योगिक प्रोत्साहन 06- **'देश के औद्योगिक महानगरों में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालयों की स्थापना'** मानक मद 42 - अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू. 12.00 करोड़ के सापेक्ष कुल धनराशि रू. 6.00 करोड़ की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

1. उक्त धनराशि को आहरित कर इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0 शासन एवं समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
3. धनराशि का आहरण नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त किया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।
7. किसी परिस्थिति मे धनराशि को पूर्व आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी खाते में नही रखा जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा तथा व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार उपलब्ध कराया जाएगा।
9. उक्त प्रस्ताव के संबंध में मितव्ययता का पूर्णतयः अनुपालन किया जायेगा तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए इन्वेस्ट यू0पी0 स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. इन्वेस्ट यू0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराया जाए।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,00,000 (रुपये छः करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852801040600 देश के औद्योगिक महानगरों में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालयों की स्थापना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-21-X-2026-27, दिनांक-24.07.2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक: यथोक्त।**

भवदीया,
प्रेरणा शर्मा
विशेष सचिव।

**संख्या-56/2026/1202(1)/77-6-2026/2059320 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-इन्वेस्ट यूपी/124/बजट/ 2026-27(लेखा) दिनांक 05.06.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि द्वितीय किस्त के मांग का प्रस्ताव संलग्न प्ररूप में उपलब्ध कराये जाने पर ही भुगतान हेतु विचार किया जा सकेगा।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रेरणा शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।